भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 1111
दिनांक 27 जून , 2019 / 6 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानपत्तनों पर वीआईपी नवाचार

1111. **डॉ. सुकान्त मजूमदार:**
श्री खगेन मुर्मु:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संसद सदस्यों/अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को शारीरिक सुरक्षा जांच इत्यादि तथा घरेलू विमानपत्तनों पर मानक नयाचार के संबंध में विमानपत्तन प्राधिकरण को कुछ दिशा निर्देश जारी किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि संसद सदस्यों तथा अन्य अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को विमानपत्तनों पर शारीरिक सुरक्षा जांच के दौरान उचित आदर/ध्यान नहीं दिया जाता है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) शारीरिक सुरक्षा जांच के नाम पर सुरक्षाकर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने के संबंध में संसद सदस्यों/अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ग) : नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) जो कि इस मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय है और देश में नागर विमानन सुरक्षा का विनियामक प्राधिकरण है, ने हवाईअड्डों पर संसद के माननीय सदस्यों से हवाईअड्डों पर उनके दौरों के दौरान शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार किये जाने के संबद्ध में, विमानन सुरक्षा (एवीएसईसी) परिपत्र संख्या 18/2009 जारी किया है। बीसीएएस के निर्देशों के अनुरूप, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ़) ने भी बीसीएएस के अनुदेशों के कड़े पालन हेतु व्यापक निदेश जारी किए हैं। इन अनुदेशों के आधार पर, संसद सदस्यों की तलाशी शिष्टाचार पूर्ण ढंग से ली जाती है।

(घ) सीआईएसएफ़ को संसद सदस्यों से वर्ष 2018 में 5 शिकायतें और वर्ष 2019 में 1 शिकायत प्राप्त हुई है और प्रत्येक

शिकायत की समुचित स्तर के अधिकारी द्वारा जांच की गई है। जांच के परिणामों के आधार पर, अनुशासनात्मक एवं सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

*****